

मध्य रेल



प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता का कार्यालय
क्षत्रपति शिवाजी म. टर्मिनस मुंबई-400001

सं: L.102.LG.5.Safety/Accident/31

दिनांक: 17.11.2025

Sr. DEE (TRO) BB
SrDME/OP/PA

CEE (OP) Instruction No. 12/2025

विषय: घाट सेक्शन में डाउन ग्रेडिएंट पर गाड़ी के परिचालन के सम्बन्ध में

दिनांक 16.10.2025 को मुंबई मंडल के दक्षिण पूर्व घाट के ठाकुरवाड़ी केबिन पर 11302 उद्यान एक्सप्रेस के SPAD के उपरांत घाट सेक्शन में डाउन ग्रेडिएंट पर गाड़ियों के परिचालन के सम्बन्ध में की CEE/OP Inst No 09/2025(Ammended) के माध्यम से दिनांक 23.10.2025 को दिशा निर्देश जारी किये गए थे। उपरोक्त दिशा निर्देश पर फील्ड से प्राप्त फीडबैक के आधार पर निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

1. डिस्टेंट सिग्नल एक पीला होने पर कोचिंग गाड़ी की गति घटा कर 35 से 40 kmph पर और माल गाड़ी की गति घटा कर 30 kmph के भीतर लायी जाएगी। यदि लोको पायलट द्वारा डिस्टेंट सिग्नल पर गाड़ी की गति नहीं घटाई जाती है और कोचिंग गाड़ी की गति 45 kmph से अधिक और माल गाड़ी की गति 35 kmph से अधिक रहती है तो सहायक लोको पायलट द्वारा तुरंत आर एस वाल्व खोल दिया जायेगा।
2. लोको पायलट द्वारा पीला सिग्नल पार करने के उपरांत गाड़ी को इस प्रकार नियंत्रित किया जायेगा कि गाड़ी को होम सिग्नल से पहले लगे स्टॉप बोर्ड (कालिंग आन बोर्ड) के आगे रोका जा सके। यदि लोको पायलट द्वारा गाड़ी की गति पर्याप्त रूप से नहीं घटाई जाती है और स्टॉप बोर्ड (कालिंग आन बोर्ड) से दो ओ एच ई मास्ट पहले गाड़ी की गति 15 kmph से अधिक रहती है तो सहायक लोको पायलट द्वारा तुरंत आर एस वाल्व खोल दिया जायेगा।

कृपया सभी रनिंग स्टाफ को इस सम्बन्ध में काउंसिल किया जाना सुनिश्चित करें ताकि चालक दल द्वारा ब्रेक देर से लगाने के कारण होने वाले SPAD के मामलों को रोका जा सके।

यह निर्देश प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता/मध्य रेल की स्वीकृति से जारी किया जाता है।


(संजय सिंह)

मुख्य विद्युत अभियंता/परिचालन